कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com

Phone No:- 07762-222911

क्रमांक 52 /लो.क.वि./न.पा.नि./2026 रायगढ़ दिनांक 02/04/2026

// द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "अ" में पी.डब्लू.डी. के भवन/सड़क एस.ओ.आर. (प्रभावशील दिनांक 01.01.2015) कार्य हेतु प्रचलित दर अनुसूची पर वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com/uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक 20-4-26 को अपरान्ह 04:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहरबंद निविदाएं त्रि–लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20-4-26 को अपरान्ह 04:30 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 750.00 निर्धारित है।
2. कार्य पूर्ण करने की समयावधि स.क्र. 03 माह निर्धारित है।
3. कार्य का लागत मूल्य राशि रूपये लाख में तथा अमानत राशि रूपये में है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत /अमानत राशि
1	वार्ड क्र.01 पुष्पेन्द्र साहू घर से अनुदीप मिश्रा घर एवं पुलकराम साहू घर से शर्मा घर तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	03.26 / 3,300.00

//नियम एवं शर्तें//

1. निविदा प्रपत्र की शर्तों का अवलोकन कर नियमानुसार अमानत राशि का का टी.डी.आर./एफ.डी.आर., निविदा प्रपत्र का डी.डी. एवं अन्य आवश्यक शपथ पत्र मूलतः फिजिकल दस्तावेज के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजा जावें। नियत समय व तिथि के उपरांत प्राप्त अभिलेख स्वीकार नहीं होगा। निविदा संबंधी दस्तावेज व अमानत संबंधी लिफाफा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावेंगें। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस दी जावेगी डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा। निविदाकर्ता निम्नानुसार लिफाफा एक बड़े लिफाफे में बंध कर भेजना होगा :–

   लिफाफा – अ

   (1) नियत राशि का डी.डी. (मूल प्रति)
   (2) नियत राशि का एफ.डी.आर. (मूल प्रति)
   (3) राशि रू. 100/– के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र (मूलप्रति)

   लिफाफा – ब

   (1) जीवीत पंजीयन प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)
   (2) पेन कार्ड (स्वप्रमाणित)
   (3) जी.एस.टी. प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)
   (4) आयकर विवरण असेस्मेन्ट वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (स्वप्रमाणित)
   (5) लिस्ट ऑफ टेक्नीकल पर्सन (स्वप्रमाणित)
   (6) चालु कार्यों की सूची (स्वप्रमाणित)

   लिफाफा – स

   (1) निविदा प्रपत्र मूल हस्ताक्षर सहित।
2. निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण शासकीय प्रयोगशाला से करना होगा एवं सी.सी. रोड कोर कटिंग नगरीय प्रशासन कार्यालय से टेस्टींग रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अन्तिम देयक देय होगा। टेस्टींग कार्य ठेकेदार को निगम द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला से स्वयं के व्यय से कराना होगा।
3. निविदा स्वीकृत की वैधता 120 दिनों की होगी। दरें समस्त करों सहित मान्य होगी। पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. ठेकेदार को उनके निविदा में उल्लेखित प्रस्तुत दर कम/अधिक प्रतिशत पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि (Price Escalation) की गणना किसी भी स्थिति में नही की जावेगी। सभी देयकों में से अन्य आवश्यक कटौतियों के साथ 05% (पांच प्रतिशत) परफॉर्मेन्स राशि अतिरिक्त सुरक्षा राशि के रूप में रोकी जावेगी जो नियमानुसार वापस होगी। आगामी वर्ष के अवधि में निर्देशित सुधार कार्य करने के बाद रोकी राशि देय होगी। जब तक ठेकेदार के द्वारा अन्तिम देयक का भुगतान प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक परफॉर्मेस अवधि प्रभावशील नही होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवर्ष सितम्बर माह सूचना देना होगा कि कार्य स्थल का निरीक्षण कर सुधार हेतु अवगत कराया जावें।
5. एस.ओ.आर. से दस प्रतिशत से कम निविदा दर प्रस्तुत करने की स्थिति में लागत मूल्य के आधार पर अन्तर की राशि का एफ.डी.आर. या अन्य माध्यम से पन्द्रह दिवस में निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्त होने में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त हो जावेगी एवं भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
6. कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
7. कार्य गुणवत्ता पूर्ण संपादित कराने का दायित्व ठेकेदार का होगा जिसके समर्थन में संपादित कराये गये कार्य में प्रयुक्त समाग्रियों के खपत के अभिलेख दैनिक रूप से संधारित किया जाना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
9. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर निविदा तिथि आगामी दिवस को मान्य होगी।
10. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को पूर्णतः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद चिपकाना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

RMC
कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911
RMC

11. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास का पत्र दिनांक 28.05.2020 के तहत कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्नातक/डिप्लोमा, इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा। जिन ठेकेदारों के पास निकाय में 20 लाख रू. मूल्य के कार्य आबंटित है उन्हें डिप्लोमा, इंजीनियर एवं इससे अधिक मूल्य के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु स्नातक अभियंता को नियुक्त करना होगा। ठेकेदार अपने इंजीनियर से देयक तैयार कराकर प्रस्तुत कर सकेगा जिसका परीक्षण/सत्यापन निगम के अभियंता द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं बंधन कारी होगा। यदि किसी भाग का विस्तृत ड्राईंग/डिजाईन तैयार करना होगा तो अपनी टीम से एवं अनुबंधित वास्तुविद से सामंजस्य स्थापित कर प्रस्तुत करेगा एवं इस डिजाईन ड्राईंग अथवा पर्यावरणीय/तकनीकी अनुमोदन सक्षम विभाग से कराने का भी जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी एवं व्यय इसमें सम्मिलित रहेगा। अनुबंध कर्ता के देयक से इंजीनियर की राशि निर्धारित अनुसार कटौती की जा सकेगी।
12. निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत अधिक मूल्य तक का एस.ओ.आर. में प्रावधानित कार्य स्वीकृत निविदा दर से कराया जा सकेगा।
13. कार्य कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के अन्दर अपनी कार्य योजना PERT/बारचार्ट में प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य नगर निगम, रायगढ़ एवं अन्य विभागो से प्रारंभ कर उल्लेखित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक रहेगा। अतः वही ठेकेदार निविदा में भाग ले जिसके लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध हो ऐसी सलाह दी जाती है।
14. पुराने कार्यों को अधूरा छोड़ने वाले अथवा नियम समय से लम्बे समय बारह माह से अधिक तक कार्य पूर्ण नहीं करने वाले निविदाकर्ता संज्ञान आने पर अपात्र होंगे।
15. प्रस्तावित कार्य आवश्यक स्वरूप के होने से उन्हें तत्काल प्रारम्भ कर आबंटित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा धीमी गति से संपादित करने पर आनुपातिक रूप से कार्य की प्रगति नही होने पर समयवृद्धि समाप्त होने के पूर्व भी कार्य को निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में शेष निविदा राशि के कार्य के लिए अपात्र होंगे। देयक से काटी गई सुरक्षा राशि एवं अन्य भुगतान नियमानुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दण्ड शुल्क एवं विलम्ब शुल्क की कटौती पश्चात् देय होगा/निविदा में भाग लेते समय जमा करायी गयी राशि को राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा एवं ठेकेदार के 01 वर्ष हेतु अयोग्य किया जावेगा। निविदा प्रपत्र में विस्तृत निर्देश उपलब्ध है।
16. निविदा दर स्वीकृत पश्चात अनुबंध संपादन का आशय स्वतः कार्य करने की स्वीकृत नहीं है। कार्य प्रारंभ करने की पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आऊट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जावें।
17. समय–समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होगे।
18. विज्ञापन में संलग्न एन.आई.टी. कराये जाने वाले कार्यों का स्वरूप है। वास्तविक कार्य एस.ओ.आर. में उल्लेखित आईटम से जुड़े हो सकते है जिन्हें पुनरीक्षित पृथक तकनीकी स्वीकृति के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।
19. शासन से आबंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। शासन से आवंटन किश्तो में प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवंटन अनुसार अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से भुगतान होने पर कार्य को बंद नहीं किया जा सकेगा व कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
20. ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेश न अथवा उप पट्टे पर नहीं होगा। कार्यो को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
21. ठेकेदार को साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
22. भुगतान में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान संज्ञान होने पर एजेन्सी से वसूली की जावेगी, जिसके लिए निविदाकर्ता बाध्य है। राजस्व वसूली के समान भरपाई की जावेगी।
23. दस्तावेजों में ओव्हराइटिंग, काट–छाट या छेडछाड़ अपात्र का कारण होगा।
24. निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर किया जाना है, संज्ञान आने पर निविदाकर्ता कार्य नहीं करेंगे। तत्काल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचित करेंगे।
25. स्थल के उपलब्धता के अनुसार कार्य के मापदण्ड एवं तल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
26. श्रमिकों को कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना होगा।
27. निर्माण कार्य में नियमानुसार श्रमिक पंजीयन कराया जाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे एवं श्रम नियमों के तहत श्रमिक हित का पालन की जवाबदारी संबंधित अनुबंधकर्ता की होगी।
28. नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /लो.क.वि/न.पा.नि./2026 रायगढ़ दिनाँक

प्रतिलिपिः–

1. निज सहा. सचिव, मान. श्री ओ.पी. चौधरी, (वित मंत्री छ.ग. शासन) विधायक, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. नेता प्रतिपक्ष/प्रभारी सदस्य, लो.क.वि. नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
5. कार्यालय अधीक्षक, नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु।
6. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचा. रायपुर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु सूचनार्थ संप्रेषित।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner